61
3/6/23

मण्डल:- वाराणसी,जनपद:- गाजीपुर,तहसील:- जमानियां
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 1833/2023
वशिष्ठ मेमोरियल ट्रस्ट बघरी बजरिये प्रबंधक अमरनाथ तिवारी बनाम लेखपाल
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202314290301833
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 02/06/2023

अंतिम आदेश

उपर्युक्त वाद वशिष्ठ मेमोरियल ट्रस्ट बघरी जमानियाँ गाजीपुर बजरिये प्रबंधक अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी परगना व तहसील जमानियाँ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2021 के आधार पर योजित किया गया। प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा जलालपुर परगना व तहसील जमानियाँ जिला गाजीपुर स्थित खाता संख्या 64 के आराजी संख्या 85/1 व खाता संख्या 47 के आराजी संख्या 83/2 व 84/2 व सं86/1व 87 व 88/2 में रकबा 1.012हे0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। ऐसी दशा में उक्त रकबा 1.012हे0 को अकृषक घोषित किया जाना जरूरी है। इसलिए उक्त रकबा को अकृषक घोषित किया जाए।

नियमानुसार पत्रावली तहसीलदार जमानियाँ को प्रेषित करते हुए आख्या आहूत की गयी। लेखपाल द्वारा अपनी आख्या दिनांक 28.03.2023 में यह उल्लेख किया है कि "मौजा जलालपुर परगना व तहसील जमानियाँ स्थित आराजी संख्या 85/1 रकबा 0.915हे0 में से 0.759हे0 व आराजी संख्या 83/2, 84/2, सं86/1, 87 व 88/2 जुमला पाँच गाटा कुल रकबा 1.417हे0 में से रकबा 0.253हे0 यानी कुल 1.012हे0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उक्त भूमि पर मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन भी नहीं किया जाता है। सभी गाटे आपस में सटे है। उक्त भूमि को अकृषिक किया जाय"। लेखपाल की आख्या को तहसीलदार जमानियाँ व रा0नि0 द्वारा बिना किसी प्रतिकूल टिप्पणी के अग्रसारित किया गया है। उप निबन्धक जमानियाँ, गाजीपुर से उक्त रकबा के मूल्यांकन के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी। मूल्यांकन आख्या के आधार पर जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर से उद्घोषणा शुल्क 1 प्रतिशत तथा न्याय शुल्क 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत अर्थात रू 93120/- एवं विभाजन शुल्क 1000रू चालान संख्या ई.यू. 00001 के माध्यम से कुल रू0 94120/- दिनांक 30.05.2023 को जमा कर आवेदक द्वारा चालान की प्रति, नजरी नक्शा, खतौनी प्रस्तुत की गयी है, जो संलग्न पत्रावली है। सहखातेदार कृष्णानन्द तिवारी पुत्र स्व0 वशिष्ठ तिवारी, बेईला देवी पत्नी स्व0 कन्हैया, जय प्रकाश पुत्र स्व0 बजरंगी, इन्द्रा देवी पत्नी हीरा राम, अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व0 रामकृष्ण देव की ओर से अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मौजा जलालपुर परगना व तहसील जमानियाँ स्थित आराजी संख्या 85/1 रकबा 0.915हे0 में से 0.759हे0 व आराजी संख्या 83/2, 84/2, सं86/1, 87 व 88/2 जुमला पाँच गाटा कुल रकबा 1.417हे0 में से रकबा 0.253हे0 यानी कुल 1.012हे0 धारा 80(1) के अन्तर्गत कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने योग्य है।

R.K.

<u>आदेश</u>

अतः तहसीलदार जमानियां के माध्यम से प्राप्त आख्या के क्रम में मौजा जलालपुर परगना व तहसील जमानियाँ के फसली वर्ष 1425-1430फ0 के खाता संख्या 64 की आराजी संख्या 85/1 रकबा 0.915हे0 में से 0.759हे0 व खाता संख्या 47 के आरजी संख्या 83/2, 84/2, सं86/1, 87 व 88/2 जुमला पाँच गाटा कुल रकबा 1.417हे0 में से रकबा 0.253हे0 यानी कुल 1.012हे0 को कृषि कार्य के अतिरिक्त आवासीय प्रयोजन में प्रयोग होने के कारण अन्तर्गत धारा 80(1) के अधीन गैर कृषक कार्यो हेतु प्रख्यापित किया जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमानियाँ को अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रवली दाखिल दफ्तर होवे।

5-6-23

प्रमाणित
पेशकार 03/06/23
प्रभा० SDO(2)

02/06/23
(डा0 हर्षिता तिवारी)
उप जिलाधिकारी,
जमानियाँ-गाजीपुर।